प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद् सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र पुत्र श्री जयकिशोर, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3–फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद् सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र पुत्र श्री जयकिशोर, जो ग्राम कैमार, थाना-चन्दपा, जनपद-हाथरस का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.12.2003 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 मीना का अपहरण कर बलात्कार कर गला दबाकर की हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-261/2004, में भा0द0वि0 की धारा-363,366,302, व 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र-न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम कोर्ट संख्या-05, हाथरस के आदेश दिनांक 17.03.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.09.2021 तक 17 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बन्दी के स्वास्थ्य की स्थिति के दृष्टिगत रिहा होने पर अपराध में पुन: संलिप्त होने की सम्भावना है इसीलिए समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट हाथरस द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्ति करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17.12.2003 को बन्दी ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 मीना का अपहरण कर बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत वीरेन्द्र पुत्र श्री जयकिशोर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद् सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र (बन्दी संख्या-147/2017) पुत्र श्री जयकिशोर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-148/2022/1531(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-148/2022/1531/22-2-2022-17(485)/2022

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद् सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र पुत्र श्री जयकिशोर, जो ग्राम कैमार, थाना-चन्दपा, जनपद-हाथरस का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.12.2003 को अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 मीना का अपहरण कर बलात्कार कर गला दबाकर की हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-261/2004, में भा0द0वि0 की धारा-363,366,302, व 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र-न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम कोर्ट संख्या-05, हाथरस के आदेश दिनांक 17.03.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.09.2021 तक 17 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 29.01.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होने, बन्दी के स्वास्थ्य की स्थिति के दृष्टिगत रिहा होने पर अपराध में पुन: संलिप्त होने की सम्भावना है इसीलिए समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट हाथरस द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्ति करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17.12.2003 को बन्दी ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 मीना का अपहरण कर बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत वीरेन्द्र पुत्र श्री जयकिशोर को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in